पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-29.11.2024

जोन- पश्चिमी /थाना पारा

आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना पारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0न्यायालय द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास व 5,000 /-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री ओमवीर सिंह के मार्गदर्शन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री विश्वजीत श्रीवास्तव व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी श्री शकील अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश सिंह के नेतृत्व में में अभियोजन एवं पुलिस टीम के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु चिन्हित अभियोग में मा0 न्यायालय अपर ए0डी0जे0/स्पेशल ए0टी0एस0 लखनऊ महोदय के निर्णायक फैसला दिनांकित 28.11.2024 सम्बन्धित मु0अ0सं0 219/2018, एस0टी0 संख्या 599/19 धारा 302/201/34 भादवि0 थाना पारा लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अंशु सोनी पुत्र राजेश सोनी निवासी रामविहार कालोनी थाना पारा लखनऊ को धारा 302 भादवि में कठोर आजीवन कारावास एवं 5,000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 201 व 34 भादवि0 में 03 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

01-अंशु सोनी पुत्र राजेश सोनी निवासी रामविहार कालोनी थाना पारा लखनऊ

सम्बन्धित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 219/2018, एस0टी0 संख्या 599/19 धारा 302/201/34 भादवि0 थाना पारा लखनऊ

फैसलाः-

मु0अ0सं0 219/2018, एस0टी0 संख्या 599/19 धारा 302/201/34 भादवि0 थाना पारा लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अंशु सोनी पुत्र राजेश सोनी निवासी रामविहार कालोनी थाना पारा लखनऊ को धारा 302 भादवि में कठोर आजीवन कारावास एवं 5,000 /-रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 201 व 34 भादवि0 में 03 वर्ष कठोर कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पैरवीकर्ता –

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।
2. पैरवी सेल थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।
3. आरक्षी उपेन्द्र नाथ यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक 29.11.2024

जोन दक्षिणी/थाना गोसाईगंज

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त दबोचा

-महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने दिखाई तत्परता
-नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट का आरोपी हुआ गिरफ्तार
-मुकदमा लिखने के कुछ घंटे बाद ही थाना गोसाईगंज पुलिस ने की कार्रवाई

लखनऊः महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस कितनी संजीदा है इसका अंदाजा शुक्रवार को पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से लगाया जा सकता है। नाबालिग़ के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुकदमा लिखे जाने के कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना गोसाईगंज पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा है।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अभिषेक रावत पुत्र मनीराम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ के रूप में हुई। घटनाक्रम के मुताबिक आज दिनांक 29.11.2024 को थाना क्षेत्र निवासिनी महिला द्वारा अभियुक्त अभिषेक रावत के विरुद्ध अपनी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ रात करीब 02.00 बजे घर के बाहर शौच करने के दौरान बलात्कार करने तथा उसके विरोध करने पर मारपीट करने सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत कराया था। **घटना की सूचना पाकर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को आज दिनांक 29.11.2024 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।** आवश्यक विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

नाम पता अभियुक्त– अभिषेक रावत पुत्र मनीराम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0 526/24 धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व ¾ (2) पाक्सो एक्ट थाना गोसाईगंज
2.मु0अ0सं0 68/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना नगराम, लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः- में निरीक्षक बलराम सिंह सेंगर, उ0नि0 सुरेश कुमार पाण्डेय, हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह, का0 रामसिंगार दुबे शामिल रहे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक- 29.11.2024

- पुलिस और पीआरवी कर्मियों का सराहनीय कार्य
- नशे में फांसी लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास
- सूचना पर पहुंची पुलिस और पीआरवी ने बचाई जान

लखनऊः थाना मड़ियाव, लखनऊ के पीआरवी 6373 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी तत्परता और सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बचाई। घटना 29 नवंबर 2024 की है, जब आरक्षी अक्षय भाटी (कमांडर) और होमगार्ड अजीत कुमार शुक्ला (चालक) अपने निर्धारित रूट पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान डायल 112 पर सोनू गौतम की पत्नी ने फोन कर सूचना दी कि उसके पति ने नशे की हालत में मारपीट करने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया है और आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है।

सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि सोनू गौतम ने कंबल का फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान देने की कोशिश की थी। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ा और फंदे से लटके हुए व्यक्ति को नीचे उतारकर उसकी जान बचाई।

घटना के बाद पीआरवी कर्मियों ने न केवल सोनू गौतम को प्राथमिक उपचार दिलवाया, बल्कि उसके परिजनों के साथ काउंसलिंग भी की। फिलहाल, सोनू गौतम सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके परिजनों ने पुलिस और पीआरवी टीम की इस सराहनीय कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया और भूरी-भूरी प्रशंसा की। यह त्वरित कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ और डायल 112 पुलिस की मुस्तैदी और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक–29.11.2024

- **लखनऊ के अन्तर्गत थाना पारा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-**

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः-196(133)/2024 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुए विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी,जो घोषित गुण्डा है, को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
पारा	1	196(133)/2024	पुतान यादव उर्फ पुनीत यादव उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र संतराम यादव निवासी बीबीखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ	1	364/2022	323/341/504/506 भा0द0वि0	पारा	04 माह
				2	369/2022	323/504/506 भा0द0वि0	पारा	
				3	284/2023	323/308/504/506 भा0द0वि0	पारा	